संख्या-364/2018/2844/22-2-2017-17(748)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37845/प्रोबे0-5-दयायाचिका/864 दिनांक 18.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो-लखनपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा लडकी भगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 10/11.08.1991 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अद्धी बन्दूक, व तमन्चा से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (इ0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2002 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2017 तक 08 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 00 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिसट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर (बन्दी संख्या-25991) पुत्र श्री नन्हेंलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-364/2018/2844(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in